सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 343 राँची, मंगलवार, 23 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

15 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप-1-173/2017-1755 (HRMS)-- श्री अनुज कुमार प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-839/03, गृह जिला-राँची), निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोडरमा-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा के विरूद्ध उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-278/स्था०, दिनांक 12.05.2017 प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

प्रपत्र- 'क' में श्री प्रसाद के विरूद्ध अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के क्रीड़ा छात्रवृति के तहत विभिन्न खेल सामग्री को बाजार दर से ऊंची दर पर क्रय करने एवं सामग्रियों का घटिया स्तर होने, कल्याण विभाग द्वारा साईकिल वितरण हेतु आवंटित राशि में 3.52 करोड़ रू० प्रत्यार्पित करने एवं सरना/मसना/हड़गड़ी एवं जाहेरस्थान की घेराबंदी का प्राक्कलन ससमय नहीं भेजने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7348, दिनांक 20.06.2017 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा अपने पत्र, दिनांक 29.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3960, दिनांक 06.06.2018 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-468/स्था०, दिनांक 29.11.2018 द्वारा श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक प्रतिवेदित किया गया।

श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, कोडरमा के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा आरोप सं०-1 एवं आरोप सं०-2, जिसमें उनके विरूद्ध अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया है, के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत होता है। आरोप सं०-3 में अनिसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के क्रीड़ा छात्रवृत्ति के तहत उपायुक्त, कोडरमा द्वारा दिये गये निदेश की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में सिर्फ आपूर्तिकर्ता को कम गुणवत्ता वाली सामग्री वापस कर अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्रियाँ उपलब्ध कराने हेतु निदेश देने की बात उल्लेखित की गई है, किन्तु वे सामग्रियाँ आपूर्तिकर्ता द्वारा बदली गई अथना नहीं, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसी प्रकार, साईकिल वितरण हेतु प्राप्त आवंटन की 3.52 करोड़ रू० की राशि प्रत्यार्पित करने में वे दोषी प्रतीत होते हैं, क्योंकि जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा से साईकिल वितरण हेतु सूची उपलब्ध कराने संबंधी किसी पत्राचार की प्रति साक्ष्य स्वरूप स्पष्टीकरण के साथ संलग्न नहीं की गई है। पुनः सरना/मसना/हड़गड़ी एवं जाहेरस्थान की घेराबंदी हेतु संबंधित उच्चाधिकारियों को वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में उनके द्वारा पत्र लिखा गया है, जबकि दिनांक 15.12.2016 से ही वे जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा के प्रभार में थे।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अनुज कुमार प्रसाद, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोडरमा-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) अन्तर्गत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANUJ KUMAR PRASAD JHK/JAS/100	श्री अनुज कुमार प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-839/03, गृह जिला-राँची), निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोडरमा-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) अन्तर्गत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 343 -- 50